

कमिश्नर परिपत्र सं०-1415030 दिनांक 17-6-2014

पत्र संख्या-सचलदल-ई-संचरण-2014-15/ 585 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर

(सचलदल-अनुभाग)

उत्तर प्रदेश

लखनऊ :: दिनांक : 17 जून, 2014

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०)

समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक / वि०अनु०शा०)

वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश

वर्तमान में जो ई-संचरण व्यवस्था प्रान्त के बाहर से प्रान्त के अन्दर माल के निर्बाध आयात (Hassle Free Movement) के संबंध में लागू है उसके परिप्रेक्ष्य में विभिन्न प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें इस व्यवस्था से संबंधित कठिनाई इंगित करते हुए इनका निराकरण करने का अनुरोध किया गया है ।

उपर्युक्त के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्देश निर्गत किए जाते हैं -

1- "ई-संचरण" की व्यवस्था जो पूर्व में 25 श्रेणी की वस्तुओं के लिए लागू की गयी थी तथा इसके पश्चात इन 25 श्रेणी की वस्तुओं के आयातकर्ता व्यापारियों को सभी प्रकार की वस्तुओं के आयात के संबंध में यह सुविधा अनुमन्य की गयी थी , इसका विस्तार करते हुए यह निर्देश दिए जाते हैं कि प्रदेश के व्यापारियों के लिए "ई-संचरण" की सुविधा अब सभी प्रकार की वस्तुओं के आयात हेतु पूर्व अवधारित प्रक्रिया के अनुसार अनुमन्य होगी ।

2- सीमेंट के व्यापारियों द्वारा यह कठिनाई व्यक्त की गयी है कि उनके द्वारा रेक से जो माल प्रान्त बाहर से आयात किया जाता है , वह रेलवे साइडिंग पर आता है जहाँ कोई आन लाइन अपेक्षित व्यवस्था किया जाना संभव नहीं होता है । ऐसे माल का अग्रेतर परिवहन उन डिपो के लिए किया जाता है , जहाँ पर अधिकांशतः आन लाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है । ऐसी स्थिति में आन लाइन जेनरेटिड टोकनों के विरुद्ध विशिष्ट संचरण नम्बर जेनरेट करना संभव नहीं हो पा रहा है । अतः इस कठिनाई का निवारण करने हेतु यह व्यवस्था की जाती है कि सीमेंट के व्यापारियों द्वारा रेक के माध्यम से जो सीमेंट आयात किया जाता है तथा ऐसे संकलित आयात के संबंध में ई-संचरण की व्यवस्था में अवधारित प्रक्रिया के अनुसार "विशिष्ट संचरण नम्बर" जेनरेट करते हुए प्रान्त में उसकी अगार डिलीवरी ले ली जाती है , तब ऐसे आयातकर्ता व्यापारी को इस प्रकार जेनरेटिड "विशिष्ट संचरण नम्बर" की सूचना उक्तानुसार आन लाइन जेनरेटिड फार्म-XXXVIII की हार्ड कापी सहित माल की प्रान्त में डिलीवरी लेने की घोषणा के साथ अपने कर निर्धारण अधिकारी तथा उस अधिक्षेत्र के कर निर्धारण अधिकारी को देनी होगी जिसके अधिक्षेत्र में ऐसे सीमेंट की डिलीवरी ली गयी है । इसके पश्चात ऐसा सीमेंट आयातक व्यापारी प्रश्नगत सीमेंट को अपने चालान से अग्रेतर वर्तमान विद्यमान व्यवस्था के अनुरूप फार्म-21 प्रयोग करते हुए परिवहन कर सकेगा । उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रयुक्त प्रत्येक चालान पर संबंधित रेक से आयातित सीमेंट के लिए उक्तानुसार जेनरेटिड "विशिष्ट संचरण नम्बर" का उल्लेख करना अनिवार्य होगा । रेक से आयातित समस्त माल के परिवहन

के उपरान्त ऐसा आयातक व्यापारी परिवहित माल के परिप्रेक्ष्य में जेनरेटिड विशिष्ट संचरण नम्बर के विरुद्ध प्रयुक्त चालानों /बिलों से परिवहित माल के परिमाण के विवरण आन लाइन ही अपलोड करेगा।

3- वर्तमान ई-संचरण व्यवस्था में खरीद का विवरण तथा वाहन संख्या अंकित करने के पश्चात ही "विशिष्ट संचरण नम्बर" जेनरेट किया जा सकता है। परचून से संबंधित माल तथा विभिन्न स्थलों से माल को संग्रहीत करते हुए इसके आयात में हो रही कठिनाई को समाप्त करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की जाती है कि जहां पर प्रदेश के बाहर से एक ही वाहन में कई "विशिष्ट संचरण नम्बर" से संबंधित माल का परिवहन किया जाना है, ऐसे सभी संव्यवहारों के संबंध में "विशिष्ट संचरण नम्बर" जेनरेट करने की कार्यवाही दो भागों में की जाएगी। पहले भाग में प्रश्नगत आयात किए जाने वाले माल की खरीद के विवरण की आन लाइन एन्ट्री करनी होगी। ऐसे विवरणों की प्रविष्टि करते ही 14 डिजिट का एक "अन्तरिम नम्बर" जनरेट हो जाएगा। व्यापारी इस "अन्तरिम नम्बर" को संबंधित ट्रांसपोर्टर को भी दे सकता है। ऐसा ट्रांसपोर्टर जब ऐसे माल को संबंधित क्रेता को प्रेषण किए जाने के लिए वाहन में लोड करने की स्थिति में होता है, तब वह ऐसे माल के उपर्युक्त "अन्तरिम नम्बरों" की एन्ट्री करते हुए इनके संबंध में केवल उस वाहन संख्या की ऑन लाइन जैसे ही प्रविष्टि करेगा तब ऐसे समस्त यूनीक नम्बरों के लिए "विशिष्ट संचरण नम्बर" स्वतः ही जेनरेट हो जायेंगे, जिनके साथ प्रश्नगत माल का आयात प्रदेश में किया जा सकेगा। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि प्रदेश में आयात के लिए इन विशिष्ट संचरण नम्बरों की अपरिहार्यता पूर्ववत् होगी।

4- वर्तमान में ई-संचरण व्यवस्था में वाहन पल्टी की व्यवस्था न होने की कठिनाई का निवारण करते हुए यह व्यवस्था की जाती है कि प्रिन्टेड फार्म -XXXVIII के आयात के संबंध में वाहन के परिवर्तित होने की दशा में जो वर्तमान प्रक्रिया प्रचलित है, उसे ई-संचरण व्यवस्था से जेनरेटिड फार्म-XXXVIII के संबंध में भी लागू कर दिया जाए। इसके लिए "विशिष्ट संचरण नम्बर" जनरेट होने के उपरान्त ऐसे आन लाइन जेनरेटिड फार्म-XXXVIII की हार्डकापी पर प्रिन्टेड फार्म -XXXVIII की तरह आयातकर्ता द्वारा परिवर्तित वाहन से संबंधित प्रविष्टि की जायेंगी और माल के साथ रखे जाने वाले प्रपत्रों में मूल वाहन से आयात किये जाने से संबंधित जी0आर0 आदि के साथ -साथ पल्टी से संबंधित प्रपत्र भी रखते हुए अग्रेतर परिवहन किया जाएगा तथा यह युक्तिसंगत कारण भी इन प्रपत्रों में रखे जायेंगे जिनके फलस्वरूप वाहन पल्टी किया गया। जांच अधिकारी उपर्युक्त तथ्यों के संतोषजनक स्थिति में ऐसे आयात के संबंध में युक्तियुक्त निर्णय लेंगे।

5- वर्तमान व्यवस्था में "विशिष्ट संचरण नम्बर" को जेनरेट करने के लिए अपेक्षित विवरणों को अपलोड करने के बाद "Save" बटन पर क्लिक करने के पश्चात् "Save Finally" की सुविधा उपलब्ध है परन्तु "विशिष्ट संचरण नम्बर" जेनरेट करने में होने वाली संभावित त्रुटियों को समाप्त करने हेतु "Save Finally" के पूर्व "Print Preview" की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है, ताकि उक्त परिप्रेक्ष्य में "Save Finally" के पूर्व पूर्व में की गयी प्रविष्टियों को अवलोकित किया जा सके जिससे त्रुटि होने की संभावना न रहे।

- 6- वर्तमान व्यवस्था में "विशिष्ट संचरण नम्बर" जेनरेट करने के पश्चात एक बार आन लाइन जेनरेटिड फार्म-XXXVIII के "Print" की सुविधा उपलब्ध है। कतिपय कारणों से "Print" न निकाल पाने की स्थिति में वर्तमान में हो रही कठिनाई के दृष्टिगत यह व्यवस्था की जाती है कि "विशिष्ट संचरण नम्बर" अंकित करते हुए आन लाइन जेनरेटिड फार्म-XXXVIII "Re-print" किया जा सकेगा।
- 7- ई-संचरण की व्यवस्था में आन लाइन जेनरेटिड फार्म-XXXVIII पर क्रेता / विक्रेता के हस्ताक्षर की अपरिहार्यता नहीं होगी। साथ ही इस आशय का उल्लेख भी स्वतः ही जेनरेट होगा कि -
" This " Vishishta Sancharan Number" / Form XXXVIII is online generated and as such does not require any signature of the importer/seller "
- 8- आनलाइन जेनरेटिड फार्म-XXXVIII पर संबंधित टोकन नम्बर की प्रास्थिति सुलभता से ज्ञात हो सके इसके लिए यह व्यवस्था की जाती है कि ई-संचरण व्यवस्था में जेनरेटिड फार्म-XXXVIII पर "विशिष्ट संचरण नम्बर" के पास में टोकन नम्बर भी ब्रैकेट (Bracket) में अंकित रहेगा।
- 9- देश के बाहर से माल के आयात करने की दशा में बिल आफ इन्ट्री के स्थान पर Custom Clearance की तिथि से ई-संचरण व्यवस्था में "विशिष्ट संचरण नम्बर " की वैधता की अवधि आंकलित की जाएगी।
- 10- वायुयान से आयात किए जाने की दशा में इंगित कठिनाई के दृष्टिगत यह निर्णय लिया जाता है कि एयरपोर्ट से निकासी की तिथि से ही "विशिष्ट संचरण नम्बर" की वैधता की अवधि आंकलित की जाएगी। आयात कर्ता को उपर्युक्त निकासी की तिथियों के साक्ष्य माल के आयात के प्रपत्रों में रखना अनिवार्य होगा।

तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

ml
17.6.2017
(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश

प्र0प्र0सं0एवं दिनोंक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) माननीय अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य वाणिज्य कर सलाहकार समिति, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- (2) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
- (3) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (4) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियों में)
- (5) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
- (6) समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0।
- (7) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर, उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ।
- (8) एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (9) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / वि0अनु0शा0 / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (10) समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेंट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0 / वि0अनु0शा0/सं0द0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (11) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक / उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
- (12) महालेखाकार, छठा तल, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
- (13) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी/सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।

- (14) प्रबन्धक,इसेंटिव,,पिकप,राणाप्रताप मार्ग लखनऊ ।
- (15) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, ,उत्तर प्रदेश ।
- (16) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल,रेवेन्यू आडिट विंग,स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद
- (17) विकास आयुक्त,नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन,सेक्टर 10 नोयडा ।
- (18) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 /ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर,सर्वोच्च न्यायालय कार्य)गाजियाबाद ।
- (19) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी 0कमि0/असि0कमि0(उ0न्या0कार्य0)लखनऊ/इलाहाबाद
- (20) मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10प्रतियाँ में ।
- (21) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियाँ ।
- (22) समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर,मुख्यालय ।
- (23) अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी ,बांसमण्डी, लखनऊ ।
- (24) अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू लखनऊ ।
- (25) श्री हुलास राय सिंघल, राष्ट्रीय अध्यक्ष,समाजवादी व्यापार सभा, कैम्प कार्यालय इण्डस्ट्रियल इस्टेट, रेलवे रोड, देवबन्द (सहारनपुर) उ0प्र0 ।
- (26) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,87/349 आर्या नगर,सगीत टाकिज के पीछे कानपुर ।
- (27) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,कंछल कुंज, 66,शास्त्री नगर,लखनऊ
- (28) श्री संदीप बंसल,सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति , 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।
- (29) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियागंज, लखनऊ ।
- (30) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स ,14/26 सिविल लाइन्स कानपुर ।
- (31) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ ।
- (32) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।
- (33) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 पेशबाग रोड,लखनऊ ।
- (34) आल इन्डिया मैनुफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद ।
- (35) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर,लखनऊ ।
- (36) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) के माध्यम से ।
- (37) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स,सुल्तानपुर रोड,रायबरेली ।
- (38) श्री नरेन्द्र कु0 गुप्ता, (नन्दी) राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, समाजवादी व्यापार सभा (कैम्प कार्यालय 1/274, चिरंजीव विहार, निकट चांसलर क्लब, गाजियाबाद ।
- (39) श्री शिवकुमार अरोड़ा,एडवोकेट,अध्यक्ष, दि उ0प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार,एस0एस0कालेज रोड,खतौली,मुजफ्फरनगर।
- (40) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर ।
- (41) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी,बनारस ।
- (42) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़,15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।
- (43) डा0 छेदी लाल साधी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ ।
- (44) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी,सिगरा वाराणसी ।
- (45) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1,कुंजगली,चौक,वाराणसी ।
- (46) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लॉक ए सेक्टर 27 नोयडा ।
- (47) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)उ0प्र0ट्रक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि0),पुलदाल मण्डी सहारनपुर ।
- (48) श्री आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी ,इलाहाबाद ।
- (49) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद ।
- (50) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल उ0प्र0 प्रदेश ,19 सुरेशबाग, कानपुर ।
- (51) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक,मु0नगर ।
- (52) संयोजक,टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0,52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
- (53) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस , आगरा ।

- (54) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
- (55) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स, गोखले मार्ग लखनऊ।
- (56) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर।
- (57) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ।
- (58) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रांतीय संगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पंजी0-बी-29, विधायकनिवास, दारुल सफा, लखनऊ।
- (59) श्री गोपाल अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी व्यापारी सभा, उ0प्र0, 6ए, राजभवन कालोनी, लखनऊ।
- (60) श्री दिनेश चन्द्र मिश्र, उपाध्यक्ष उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, उ0 बी0एन0रोड, अमीनाबाद लखनऊ।
- (61) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ।
- (62) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड मेरठ।
- (63) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट, हाथरस।
- (64) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर।
- (65) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उर प्रदेश टैक्सवार एसोसिएशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ0प्र0)
- (66) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0 उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद।
- (67) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ।
- (68) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद।
- (69) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिशिंग, आर0डी0सी0-51, राजनगर, गाजियाबाद।
- (70) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ।
- (71) श्री रवि सन्डूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर (यू0पी0)।
- (72) श्री अरविन्द कालरा, सदस्य वैट एडवाइजरी कमेटी, उत्तराखण्ड।
- (73) श्री आलोक कुमार गुप्ता, महासचिव, यू0पी0 पेपर मर्चेन्ट्स, एसोसिएशन, एफ 43, सेक्टर-11, नोएडा।
- (74) अध्यक्ष, राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (उत्तर प्रदेश)
- (75) अध्यक्ष, यू0पी0मोटर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन (रजि0) 133/296-ए, ट्रांसपोर्ट भवन, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर।
- (76) अध्यक्ष/सचिव, वेस्टर्न यू0पी0चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, बाम्बे बाजार, मेरठ।
- (77) अध्यक्ष / महासचिव महानगर टैक्स बार एसोसिएशन (रजि0) गाजियाबाद
- (78) प्रेसीडेन्ट/सचिव, यू0पी0शुगर मिल्स एसोसिएशन, 403, चिल्टेन हाउस, 16, स्टेशनरोड, लखनऊ।
- (79) श्री मुकुल गुप्ता, नेशनल वायस प्रेसीडेन्ट, आल इण्डिया फैडरेशन आफ टैक्स प्रैक्टीशनर्स, आर - 13/24, राजनगर, गाजियाबाद।
- (80) कन्वीनर, टैक्स फोरम, रजत विहार, सेक्टर 62, नोएडा।
- (81) राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामन्त्री, न्याय मंच-949, मल्हूपुरा, मुजफ्फरनगर।

Ch
(योगेन्द्र कुमार)

एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ